केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

के वि वि आयोग
CERC

तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001, फोन 23353503, फैक्स 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं. 123/टीएल/2023 **दिनांक: 31.01.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अंतर्गत आवेदन विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड के अंतर्गत पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड, विंडसर, प्रथम तल, यूनिट नं. 101, कलीना, सांताक्रुज पूर्व–400 098, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

*(क) "आरई इन्टरकनेक्शन के लिए 220 केवी बे सहित 2X500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा और चौथा) द्वारा कल्लम पीएस में ट्रांसफोरमेशन क्षमता की अभिवृद्धि" (इसके बाद **"कल्लम अभिवृद्धि पार्ट 1"** के रूप में संदर्भित); और*

*(ख) 'टोरंट सोलर पावर प्रा. लि. के आरई परियोजना के इन्टरकनेक्शन के लिए कल्लम पीएस में 1 नं. 400 केवी बे का कार्यान्वयन' (इसके बाद **"कल्लम अभिवृद्धि पार्ट 2"** के रूप में संदर्भित).*

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 21.04.2023 औरा 8.8.2023 के माध्यम से उक्त पैरा 1 में यथाउल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण लाइन का निष्पादन करने के लिए कल्लम ट्रांसमिशन को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सिफारिश की है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका संख्या 123/टीएल/2023 में दिनांक 4.1.2024 के आदेश के माध्यम से, उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।

4. कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट **https://www.indigrid.co.in/documents-manager/** में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

5. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर **19.2.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **23.2.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव